समाहरणालय, मुंगेर

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण संख्या–03/2016–17

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मुंगेर इण्डोर स्टेडियम में सौर उर्जा की व्यवस्था हेतु माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी द्वारा अनुशंसा की गई है। तद्‌लोक में 10 KWP सोलर पावर प्लांट एवं 06 पीस फोर आर्म्स सोलर लाईट लगाने हेतु प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनी/फर्म एवं ख्याति प्राप्त एजेंसी से निविदा आमंत्रित की जाती है।

आपूर्त्ति सह अधिष्ठापन हेतु निर्माता कम्पनी/फर्म व ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 14.12.2016 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, मुंगेर में जमा कर सकते है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में जिला कय समिति के समक्ष दिनांक 14.12.2016 को अपराह्न 03:00 बजे समाहरणालय सभा कक्ष, मुंगेर में निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत ही भाग ले सकते है।

तकनीकी निविदा की शर्त्ते–

1. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 टेस्ट रिपोर्ट लाईट का वर्ष 2015–16 का देना होगा।
2. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 का चेनल पार्टनर होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
3. निर्माता कम्पनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कम्पनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निर्माता कम्पनी को सोलर संयत्र के अधिष्ठापन का न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. निर्माता कम्पनी को विगत तीन वर्षो का सालाना टर्न ओभर दो करोड़ रूपये का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2014–15, 2013–14 का)
6. निविदादाता के पास कम से कम तीन वर्षो का अंकेक्षित बैलेंस शीट होनी चाहिए।
7. निर्माता कम्पनी का पेन कार्ड एवं वैट से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
8. निर्माता कम्पनी को काली सूची में दर्ज नही होने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा। साथ ही वैसे निर्माता कम्पनी/फर्म व एजेंसी जिनके विरूद्ध काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा की गयी है, निविदा में भाग नही ले सकेंगे।
9. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्त्ते मान्य है।
10. तकनीकी निविदा मे 30000.00 (तीस हजार) रू0 का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्रॉफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से देय एवं मुंगेर में भुगतेय हो संलग्न करना होगा।
11. निर्माता कम्पनी को एम0एस0ए0 एवं आई0एस0ओ0 14001–2004 होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निर्माता कम्पनी को आई0एस0ओ0 9001–2008 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा।
13. निर्माता कम्पनी को IEC 61215 Edition II/BIS 14286 From an NABL or IECQ accredited Laboratory का टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा।
14. निर्माता कम्पनी के साथ उनके अधिकृत विक्रेता भी निविदा में भाग ले सकते है।

वित्तीय निविदा की शर्त्ते–

1. वित्तीय निविदा में क्रियान्वयन की जानेवाली योजना का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति ईकाई दर आपूर्त्ति/अधिष्ठापन कर सहित देना होगा।

अन्य शर्त्ते–

1. सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट 25 वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि के नियमित रख–रखाव व जांच का पूर्ण दायित्व आपूर्तिकर्त्ता का होगा।
2. निविदादाता को विगत छः माह के अन्दर का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हो।

3. आपूर्त्ति किये जानेवाले सिस्टम की फिटिंग/ढुलाई आदि को अलग से कोई खर्च नही दी जायेगी।
4. किसी भी तरह का विवाद होने का न्यायिक क्षेत्र मुंगेर नगरीय क्षेत्र होगा।
5. तकनीकी निविदा के जांचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात् ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
6. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
7. कय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नही दिया जायेगा, ससमय अधिष्ठापन/जांच/गुणवत्ता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
8. जिले के विभिन्न सुदूर स्थानो पर भी सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य निर्धारित समय पर करना होगा।
9. विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत 90% राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10% राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा। वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मति मद की राशि वर्षवार विमुक्त की जायेगी।
10. सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन में विलम्ब की स्थिति में 12-5% प्रतिमाह चकवृद्धि ब्याज की दर से कटौती की जायेगी।
11. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/संबंधित तकनीकी पदाधिकारी के स्थलीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

फोर आर्म्स सोलर लाईट सिस्टम का मानक एवं मापदंड निम्न प्रकार से होना चाहिए–

1- सोलर प्लेट – 74WP under STC. Warranted for a minimum period of 25 years from the ate of supply.
2- सोलर बैट्री – Lead acid Tubular Flooded or Tubular GEL/VRLA, 12V-75 AH @ c/10. Warranted for a minimum period of 05 years from the date of supply.
3. चार्ज कन्ट्रोलर यूनिट – 6 Amps with efficiency >85%
4. लैम्प /लोड – Compact Fluroescent Lamp of 11watt.
5. ल्यमिनेरियस हाउसिंग – Weather proof with high illuminative acrylic & reflector
6. एल्यूमिनेशन – 900 Lumens.
7. केबल – 2.5sq mm as required
8- पोल – Galvanized MS duly primered (2 coats) 60mm OD in upper portion 75 OD in lower portion and length of the pole above ground shall not be less than 4.0 meters Length of the pole below ground shall be minimum 1.5 meters.
9. बैट्री बॉक्स – Glavanized MS withlock facility.
10- मॉड्यूल माउण्टिंग स्ट्रेक्चर – Galvanized MS configured to Mount Modules.
11. हार्डवेयर एसोसिरिज – As per the configuration made
12- ड्यूटी साईकिल – Dust to dawn.
13. ऑटोनोमी – 03 days or minimum 42 operating hours per permissible discharge.

उक्त सामग्री नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत मानक एवं मापदंड का होना अनिवार्य है।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।